

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा 1972-73 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बावत् भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टल योजना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं जिसमें अकेली, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं शादीशुदा परन्तु अपने पति से दूर रहती हो तथा मां के साथ 18 वर्ष तक की लड़की एवं 05 वर्ष तक के लड़के रह सकते हैं, के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। तत्संबंध में कामकाजी महिला आवास गृह (छात्रावास) योजना के रूप में राज्यों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किया जाना है। जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं क्रियान्वयन एजेन्सी का अनुदान अनुपात 60:15:25 का होगा। इस हेतु रायगढ़ जिले अंतर्गत स्वयं सेवी संगठन/संस्था/एजेन्सी से दिनांक 18.09.2017 तक समय शाम 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन सूचना पटल एवं रायगढ़ जिले के वेबसाईड WWW.raigarh.nic.in या cg.nic.in/raigarh पर पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

दूरभाष एवं फ़ैक्स क्रमांक -07762-225429, ई-मेल आईडी wcdraigarh@gmail.com

क्रमांक 6550/मबावि/नवाबिहान/2017-18

रायगढ़, दिनांक 09/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त सूचना रायगढ़ जिले के किन्ही 05 स्थानीय सामाचर पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें ।
4. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन रायगढ़ जिले के वेबसाईड WWW.raigarh.nic.in या cg.nic.in/raigarh पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला रायगढ़ (छ0ग0)